

रिश्व, मं. पुन्न, हक्तू,/पून, पी. 85% साहसंस्थ नंत डब्बूत पीत-४। साहसंस्थ द पोस्ट एटिक स्थानस रोह

ग्रिकारी गजह, उत्तर महेगा.

महीराज्य १७३३ राज्य प्रविदेश राज्य

विवासी क्रिकेट

भाग---1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश श्रधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 27 जुलाई, 1998

श्रावण 5, 1920 शक सम्बत्

उत्तर प्रवेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संद्या 1413/सतह वि-1-1-(क) 20/1998 लखनक, 27 जुलाई, 1998

> ग्रधिसूचना विविध्

भारत का संविधान" के मनुच्छेद 200 के स्रवीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 25 जुलाई, 1998 को अनुमित प्रदान की घोर वह उत्तर प्रदेश श्रिधिनयम संख्या 26 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस प्रधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1998

(बसर प्रदेश ब्रिधिमियम संस्था 25 सन् 1998)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल दवारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश द्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए ग्रिधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित ग्रिधनियम बनाया जाता है :--

भिर्म 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1998 संक्षिप्त नाम हिं[जायेगा।

(2) धारा 2 से 5 ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगी जैसा राज्य सरकार विज्ञष्ति द्वारा, इस सित्त नियत कर श्रीर भेष उपवन्य तुरन्त प्रवस होंगे । उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की घारा 3-क का संशोधन 2- - उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूळ अधिनियम कहा है। हैहै, बारा 3-क में उपधारा (1) में,--

(क) खण्ड (ख) में भव्द "चालीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पनास प्रतिशत" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द ''छन्वीस प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''ऐतीस प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ग-1) में शब्द "वीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पच्चीत प्रतिशत" रख दिये जार्येंगे;

(घ) खण्ड (घ) में शब्द ''पन्द्रह प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''बीस प्रतिशित' रख दिये जायेंगे;

(ह) खण्डं (ह) में भव्द ''आठ प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''दस प्रतिशत' रख दिये जायेंगे।

ं द्वारा <mark>3-घ</mark>का संबोधन 3-मूल अधिनियम की घारा 3-घ में,--

(क) उपधारा (1)में,--

(एक) खण्ड (क) में शब्द ''छब्बीस प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''पैतीस प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे।

(दो) खण्ड (ख) के एपखण्ड (2) में शन्द ''पन्द्रह प्रतिशत'' के स्पात् पर शब्द 'बीस प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे;

(तीन) विद्यमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रति बन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

''प्रतिवन्ध यह है कि राज्य सरकार विक्रिति हारा ऐसे किसी के सम्बन्ध में, विक्रय धन पर कर के स्थल का परिष्कार कर सकती है

(६) उपधारा (4) निकाल दी जायगी।

धारा 3-४६ कां निकालाजाना

क्षारा 3-च का संशोधन

धारा 4-क का संघोधन 4--मूल श्रीधनियम की धारा 3- छ निकाल दी जायगी।

5—मूल श्रधिनियम की घारा 3-च में, उपद्यारा (1) में शब्द 'पन्द्रह प्रतिशित हैं स्थान पर शब्द ''वीस प्रतिशत'' रख दिये जायेंगे।

6-मूल अधिनियम की धारा 4-क में,-

(क) उपधारा (2-ख) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नति वितेष प्रतिबन्धात्मक खण्ड बड़ा दिया जायगा श्रीर 1 श्रप्रैल, 1992 को बढ़ाया गया समझी जायगा, श्रयत्:—

''प्रतिवन्ध यह भी है कि असमाप्त अविध की संगणना करने में ऐसी अविध को, जिसके दौरान किसी न्यायालय या श्रीद्योगिक एवं वित्तीय पुनिन्मणि वोर्ड या श्रीद्योगिक एवं वित्तीय पुनिन्मणि से सम्बन्धित अपीलीय प्राधिकी है। द्वारा पारित किसी ब्रादेश के कारण उत्तराधिकारी निर्माता का उत्पादन विद्यारा पारित किसी ब्रादेश के कारण उत्तराधिकारी निर्माता का उत्पादन विद्यारा है, निकाल दिया जायगा।''

(ख) उपधारा (3) में शब्द "किसी भी रीति से दुरुपयोग किया गया हैं। स्थान पर शब्द "किसी भी रीति से दुरुपयोग किया गया है या ऐसे पान्नता प्रमाण को जारी करने में कोई विधिक या तथ्यात्मक नृदि है" रख दिये जायेंगे, विधिक सक्ती जायेंगे।

(ग) स्पष्टीकरण (2) में, खण्ड (क) में, —

(एक) शब्द ''या उपयोग के लिये ब्राजित" निकाल दिये जार्येंगे;

(दो) अन्त में सेमीकोलन और शब्द "; मा" के स्थान पर कोलन रख दिया जायगा; श्रीर

रखाद्या जाया, नार (तीन) अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड वढ़ा दिया जाँग अर्थात :-

"प्रतिवन्ध यह है कि यह सिद्ध करने का भार कि ऐसी मधीती संयंत्र, उपस्कर, साधित्र या संघटकों का भारत में किसी अन्य का खी या कर्मकाला में उपयोग नहीं किया गया है या इस धारा के अधीन है प्राप्त करने के लिये जनके मूल्य को स्थिर पूजी विनिधान में सम्मिलित नहीं किया गया है, नई इकाई पर होगा; या'

(ध) स्पष्टीकरण (4) में,---

हिंग (एक) शब्द "में विनिधान" जहां कहीं भी ग्राये हों, के स्थान पर शब्द "के मूल्य" रख दिये जायेंगे ;

किंक (दो) शब्द ''न तो प्रयोग में लाये गए हों, न ही उसमें प्रयोग में लाये ज़ोने के लिये अर्जित किये गए हों" के स्थान पर शब्द "प्रयोग में न लाये गये हों। रख दिये जायेंगे ;

(রীন) प्रतिवन्धात्मक छण्ड के खण्ड (क) के उपखण्ड (चार) में शब्द अविध के लिए" के स्थान पर शब्द "उस अविध के दौरान" रख दिये जायेंगे; ग्रीर

हिंहिं (चार) प्रतिवन्धारमक खण्ड के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खें हैं बढ़ा दिया जायगा थीर 1 अप्रैल, 1990 की बड़ाया गया समझा जायगा,

ं (घ) -यदि किसी इकाई ने, विस्तारीकरण, विविधीकरण, 🐉 आधुनिकीकरण या वैकवर्ड इन्द्रीग्रेशन में से दो या अधिक मद के लिए स्थिर पूजी विनिधान किया है किन्तु जब प्रत्येक ऐसे मद में किये गये ास्यर पूजा । यानवाग का अभिनिश्चय न किया जा सकता हो तो इकाई सिंग हिस्स र पूजी विनिधान का अभिनिश्चय न किया जा सकता हो तो इकाई द्वारा यथा प्रस्तुत स्थिर पूंजी विनिधान के अविशब्द को स्वीकार किया ्रजायगा ।"

वि(इ) हविद्यमान स्पष्टीकरण (6) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दुर्वे जियमा त्रिरेट १ अप्रैल, 1990 को खा गया समझा जायगा, अर्घात् :---

क्षिति । (6) इस घारा के प्रयोजनार्थ पद "श्राधारभूत उत्पादन" का सात्पर्थ ;-(क) श्रीघडठापित वाधिक उत्पादन क्षमता का श्रस्ती प्रतिशत; STATE AT THE STATE OF THE STATE

(ब) पूर्ववर्ती पांच क्रियक कर निर्धारण वर्षों में से किसी एक विषेक्षिके दिश्चिमाप्त श्रीधकतम उत्पादन या यदि हुकाई में उत्पादन पांच क्षित्रं से कम ग्रयिष का है तो पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्षों में से कि जे एक वर्ष के दौरान प्राप्त अधिकतम उत्पादन;

इतमें से जो भी अधिक हो, से हैं

कर्मा करिया है कि जहां एक से अधिक वस्तुत्रों का उत्पादन प्रतिवन्धं यह है कि जहां एक से अधिक वस्तुत्रों का उत्पादन करिया करते वाली किसी इकाई ने ऐसी सभी वस्तुत्रों के सम्बन्ध में विस्तारी-क्षित्रेण यो आधुनिकीकरण नहीं किया हो वहाँ उस इकाई के आधारमूठ जिसीदन को अवधारण उन वस्तुत्रों, जिनके सम्बन्ध में विस्तारीकरण या विद्याद्यनिकीकरण किया गया है, के उत्पादन के आधार पर किया जायगा :

अप्रतर प्रतियत्य यह है कि जहां स्थिर पूजी विनिधान को अवधारित करने के लिये किसी निश्चित अवधि में किये गये विनिधान एके सीय जोड़े जाते हैं वहां विस्तारीकरण या आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में प्रयमवार किये गये स्थिर पूंजी विनिधान के दिनांक के ठीक पूर्व के क्षित्र के आधार पर आधारमूत उत्पादन अवधारित किया जायगा'।"

मूल अधिनियम की धारा 4—ककक में शब्द "विश्विष्त द्वारा" के स्थान पूर शब्द बोर अक् विज्ञानि हो रा ऐसे किसी दिनाक से जो 8 जुलाई, 1996 के पूर्व की न हो।" रख दिये हेज स्थित

धारा 4-ककक कासंशोधन

लि अधिनियम की धारा 8-ख में,—

क्षिक्ति) पृथ्वं शीर्षक में भटद ''इच्छुक निर्माताग्रों का'' के स्थान पर भव्द क्वित्य मामलों में "रख दिये जायेंगे;

विक्रिजिपधारा (1) के स्थान पर निम्निलिखित उपधारा रख दी जायगी,

कि क्षेत्र (1) कोई व्यक्ति, जो एक वर्ष में एक लाख रूपए से अधिक मूल्य की विकि किए जाने के लिए माल का निर्भाण करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रवेश में ्विपारिक्तिरने का इच्छुक हो, या कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार विज्ञन्ति

धारा_,8-ख को संशोधन

द्वारा विनि किट करे एक वर्ष में एक लाख पनास हजार रुपए से अधिक की बिकी किए जाने के प्रयोजनार्थ एतर प्रदेश में व्यापार स्थापित करने के इस्कुल हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी घारा 8—क के अधीन रिज़ल कराने के लिए आवेदन करना श्रावस्थक नहीं है, कर निर्धारक अधिकारी कि ऐसे प्रथत में श्रीर ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाय, अनितम रिज़ल्स के लिए प्रार्थना पत दे सकता है।"

वारा ८-घ का संशोधन 9—मूल अधिनियम की धारा 8-ध में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नितिहें उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(4) उपघारा (1) या उपघारा (2) के अधीन ऐसी कटौती करने बाला व्यक्ति, भुगतान या निवंहन करते समय उस व्यक्ति को, जिसके विल या वीजकी ऐसी कटौती की जाय, एक प्रकाण-पन्न, ऐंग प्रपन्न में और ऐसी रीति से और ऐसी बना के भीतर, जैसी निर्धारित की जाय, देगा।

(4-क) संविदाकार या उप-संविदाकार को भुगतान करने के लिए उत्तरहाती व्यक्ति ऐसे कालान्तरों पर, ऐसी कालाविध के भीतर, ऐसे प्रपत्न में, ऐसे भुगतान के विवरण-पत्न प्रस्तुत करेगा तथा उन्हें ऐसी रीति से प्रमाणित करेगा, जैसो निर्धारित के जाय किन्तु कर निर्धारक प्रधिकारी स्विववेकानुसार कारणों को अभिनिष्ठत करके ऐसे व्यक्ति द्वारा विवरण-पत्न प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ा सकता है।

विज्ञप्ति का संबोधन 10-- विज्ञाप्त संस्था व्या 0 क 0-2-1 947/म्यारह-9(7)-97, दिनांक 26 जून, 19 1 परवरी, 1985 से प्रवृत्त हुई समझी जायगी।

वैभीकरण

- 11--(1) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिकी या आदेश में किसी वात के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व जारी की गई कोई विश्विष्त या कृति होई कार्य या कार्यवाही जो इस अधिनियम हारा य्यासंशोधित मूल अधिनियम के उपवन्ति अनुसार हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी और सदेव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपवन्त्र सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त ये।
- (2) जहां इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी प्राधिकारी या न्यायालय ने किसी कार्य वाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह किया हो या अयदग्र लगाने या किसी अन्य मांग का कोई आदेश किया हो वा ऐते कर निर्धारण, उद्ग्रहण असे किया हो आवा किसी अन्य मांग का कोई आदेश किया हो वा ऐते कर निर्धारण, उद्ग्रहण असे किया हो अर्थ एवं साम को (पूर्णतः या असे अर्थ क्या मांग को (पूर्णतः या असे अर्थ कार्य आदेश इस अधिनियम हारा यथासंशोधित में अर्थ कार्य हो हो प्राधानियम के उपवन्धों के असीन रहते हुए सार्थ का कोई पक्ष या व्यापार कर किमण्यर 31 दिसम्बर, 1998 तक ऐसे प्राधिकारी मां निर्धारण या आदेश का पुनिविक्षिक करने के लिए प्रार्थना-मन दे सकता है और एहले और तद्परान्त ऐसा प्राधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनिविलोकन कर सकता है और एहले हिये गये आदेश में परिवर्तन या उसका पुनरीक्षण करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा हो अधिनियम हारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपवन्धों को प्रभावी वनाने के लिए आधिनियम हारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपवन्धों को प्रभावी वनाने के लिए आधिनियम हारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपवन्धों को प्रभावी वनाने के लिए
 - (3) यथारियति कर निर्धारक, अपील सुनने नाला या पुनरीक्षण प्राधिकारी के द्वारा दिये गये किसी आदेश में इस धारा के प्रारम्भ से एक वर्ष की अविध के मीतर या कि अधिनियम की धारा 22 में निर्निद्धिक अविध के भीतर, जो भी बाद में समाप्त हो, कोई सुष्ठ कर सकता है, जहां ऐसा सुधार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किए गए संशोधन परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (2) के अधीन कोई श्रावेदन किया गया हो तो निस्तारण ऐसी श्रवधि के बाहर भी किया जा सकता है:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कोई सुधार जिसका प्रभाव कर निर्धारण, श्रयंदण्ड यो देशों को बढ़ाना हो, तब तक नहीं किया जायना, जब तक कि सम्बन्धित प्राधिकारी ने ऐसी के अपने ग्रामिप्राय की सूचना सम्बद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो श्रोर उसे सुनवाई युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

आजा से योगेन्द्र राम वि प्रमुख सर्वि

No. 1413 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-20-1998 Dated Lucknow, July 27, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of spindia, the Governor is pleased to order the publication of the following English of the Uttar Pradesh Vyapar Kar (Sanshadhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor/President on July 25 1998.

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (AMENDMENT) ACT, 1998 (U.P. ACT NO. 26 OF 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

3000

Sign of

TWITTIS HERBBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of

This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Amend-ment) Act 1998.

(2) Sections 2 to 5 shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf and the remaining provisions shall come into force at once

1948, herenafter referred to as the principal Act, in sub-section (1),—

(a) in clause (b) for the words "forty per cent", the words "fifty per cent" shall be substituted;

(b) in clause (c) for the words "twenty six per cent", the words "thirty five per cent" shall be substituted;

(c) in clause (c-1) for the words "twenty per ceut" the words "twenty five per cent" shall be substituted;

(d) in clause (d) for the words "fifteen per cent" the words twenty per cent" shall be substituted;

(a) in clause (e) for the words "eight per cent" the words "ten er cent" shall be substituted.

linesection 3-D of the principal Act, -

(a) in sub-section (1),--

(t) in clause (a) for the words "twenty six per cent" the words thirty five per cent" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (ii) of clause (b) for the words "fifteen per cent" the words "twenty per cent" shall be substituted;

Olass (iii) for the existing proviso, the following proviso, shall be substituted, namely:—

cation, modify the point of tax on the turnover in respect of any of such goods."

(b) sub-section (4) shall be omitted.

Section 3-E of the principal Act, shall be omitted.

55. In section 3-F of the principal Act, in sub-section (1), for the ordinaries in fifteen per cent? the words "twenty per cent" shall be substituted.

6: In Section 4-A of the principal Act.

(a) in sub-section (2-B), after second proviso, the following proviso shall be inserted and be deemed to have been inserted on April 1, 11992; namely:

Provided also that in computing the unexpired portion of the period the period during which the production of successor

Short title and commencement

Amendment of section 3-A of U. P. Act no. 15 of 1948

Amendment of section 3-D

Omission of section 3-E

Amendment of section 3-F

Amendment of cection 4-A

manufacturer remains closed on account of an order passed by any Court or Board for Industrial and Financial Reconstruction or Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction shall be excluded."

- (b) in sub section (3), for the words "in any manner whatsoever the words "in any manner whatsoever or there is any legal or factual error in issuing such Eligibility Certificate" shall be substituted and be deemed to have been substituted on September 13, 1985.
 - (c) in Explanation (2), in clause (a),
 - (i) the words "or acquired for use" shall be omitted;
 - (ii) in the end for semicolon and words "; or" the colon shall be substituted; and
 - (iii) the following proviso shall be inserted in the enamely:

"Provided that the onus of proving that such machinery," plant, equipment, apparatus or components have not been used in or the value thereof have not been included in fixed capital investment for obtaining benefit under this section by any other factory or workshop in India, shall be on the new unit; or"

- (d) in Explanation (4),-
- (i) for the words "investment in" wherever occuring the words "value of" shall be substituted;
 - (ii) the words "for acquired for use" shall be omitted;
- (iii) in sub-clause (iv) of clause (a) of the proviso for the words "for the period" the words "during the period" shall be substituted; and
- (iv) after clause (c) of the proviso the following clause shall be inserted and be deemed to have been inserted on April 1990, namely:
 - "(d) if a unit has made fixed capital investment under two or more heads of expansion, diversification, modernisation and backward integration but fixed capital investment made under each such head is not as certainable, then the break-up of fixed capital investment as furnished by the unit will be accepted."
- (e) for the existing Explanation (6), the following Explanation shall be substituted and be deemed to have been substituted on April 1990, namely:—
 - "(6) for the purposes of this section the expression 'production' means,—
 - (a) eighty per cent of the installed annual product capacity; or
 - (b) maximum production achieved during any one of preceding five consecutive assessment years or if the unit with production for less than five years, the maximum production achieved during any one of the proceeding assessment years whichever is higher:

Provided that where a unit manufacturing more than 0 goods has not undertaken expansion or modernisations respect of all such goods, its base production will be determined on the basis of production of goods in respectively.

Provided further that where investment made during certain period is clubbed together for the purpose of demining the fixed capital investment, the production immediately prior to the date on which such investment was affected.

started to be made in respect of expansion or modernisation shall be taken into account for determining the base production."

An endment of

Amendment of

200

ection 8-B

- 7. In section 4-AAA of the principal Act, for the words "by notification" the words and figures "with effect from a date not earlier than July 8, 1996, by notification" shall be substituted.
 - g. In section 8-B of the principal Act,-
 - (a) in the marginal heading for the words "for intending manufacturers" the words "in certain cases" shall be substituted;
 - (b) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:
 - "(1) Any person intending to establish a business in Uttar Pradesh, for the purpose of manufacturing goods for sale of a value exceeding one lakh rupees or any person as may be specified by the State Government by notification intending to establish a business in Uttar Pradesh for the purpose of selling goods of a value exceeding one and half lakh rupees in a year may, notwithstanding that he is not required to apply for registration under section 8-A, make an application to the assessing authority in such form and manner as may be prescribed, for provisional registration."

Amendment of

- 9. In section 8-D of the principal Act, for sub-section (4) the following sub-sections shall be substituted, namely:—
 - "(4) The person making such deductions under sub-section (1) or sub-section (2) shall, at the time of payment or discharge furnish to the person from whose bills or invoice such deduction is made a certificate in such form and manner and within such period as may be prescribed.
 - "(4-A) The person responsible for making the payment to the contractor or sub-contractor shall submit such return of such payments at such intervals, within such period, in such form and verified in such manner, as may be prescribed, but the assessing authority may in its discretion, for reasons to be recorded, extend the date for the submission of the return by such person."
- 10. Notification no. T.T.-2-1947/XI-9(7)-97, dated June 26, 1997 shall be deemed to have come into force on February, 1985.
- of any court or authority, any notification issued or anything done or any action taken before the commencement of this section which conforms to the provisions of the principal Act as amended by this Act shall be deemed to be and always to have been valid and lawful as if the provisions of this Act were in force at all material times.
- (2) Where before the commencement of this section any authority or court, in any proceeding made any assessment, levy or collection of any tax or passed any order imposing any penalty or making any other demand under the principal Act or passed any order modifying, setting aside or quashing (wholly or in part), such assessment, levy, collection, penalty or demand and such assessment or other order becomes inconsistent with the provisions of the principal Act as amended by this Act then, subject to the provisions of sub-section (3), any party to the proceeding or the Commissioner of Trade Tax may by December 31, 1998, make an application to such authority or Court for review of the assessment or order and thereupon such authority or Court may review the proceeding and make such order, varying or revising the order previously made, as may be necessary to give effect to the provisions of the principal Act as amended by this Act.
- (3) The assessing, appellate or revising authority, as the case may be, may within the period of one year from the commencement of this section for within the period specified in section 22 of the principal Act, whichever

Amendment of

notification .

Validation

expires later, make any rectification in any order passed by it where such rectification becomes necessary in consequence of the amendment of the principal Act:

Provided that where an application under sub-section (2) has been made, it can be disposed of even beyond such period:

Provided further that no such rectification which has the effect of enhancing the assessment, penalty or other dues, shall be made unless the authority concerned has given notice to the dealer or person concerned of his intention to do so and has allowed him a reasonable opportunity of being heard.

By order,
YOGENDRA RAM TRIPATHI
Pramukh Sachiv.